कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1456 / FP/UK/OTHERS/149743/2021 दिनॉकःदेहरादून 15 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का नगर पंचायत सतपुली को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/09/61/2022/एफ0सी0/816 दिनांक 14.09.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 14.09.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1371/12–1(1) दिनांक 09.12.2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	उत्तरालेख
1	प्रस्तावित स्थल 'मील' नदी (1st order River) के निकट स्थित है तथा प्रस्ताव के तहत की जाने वाली गतिविधियों को विचार में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि नदी पर परियोजना के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु बरती जा रही सावधानियों की पूर्ण जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना स्थल (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण स्थल) पर अजैविक कूडे की पूर्ण रूप से छटाई कर रिसाईकल कर अजैविक कूड़े का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण किया जायेगा। अजैविक कूड़े के किसी भी प्रकार से मधुगंगा गाड में जाने से रोकने के लिए परियोजना स्थल के चारों ओर Boundry wall 35m, Green Belt 150 Tree, RR wall 70m तथा Fencing 250m का निर्माण किया जायेगा एवं जैविक कूडे से निकलने वाले Leachate के लिए Leachate holding tank का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी माध्यम से परियोजना के कारण मधुगंगा गाड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इसके लिए पूर्ण रूप से आवश्यक सावधानियां बरती जायेंगी।
2	राज्य सरकार 1200 पौध (0.6 है0 X 1000 पौधे X 2 = 1200 पौधे) के पौधारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र का चयन करें तथा तदनुसार पूर्ण विवरण सहित वृक्षारोपण योजना, मानचित्र एवं	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन बबीना पट्टी मल्ला बदलपु 2, तहसील सतपुली (गढ़वाल) के अन्तर्गत नॉन0जेड0ए0 खतौनी

	के0एम0एल0 फाईल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	खाता संख्या–06 श्रेणी–9(3)ड कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खेत संख्या–4250 रक्वा 1.800 है0 मध्ये 1.2 है0 भूमि पर किया गया है। उक्त भूमि का वृक्षारोपण प्राक्कलन, मानचित्र एवं के0एम0एल0 फाईल संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–01)।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1456 / FP/UK/OTHERS/149743/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1371/12–1(1) दिनांक 09.12.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन।

15/12/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।